

22⁷/₂₅ पत्रावली पेक्षा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
मूल प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है।
जिससे उक्त T.I. प्रार्थना पत्र को आगे
चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता
है। लिहाजा उक्त T.I. प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमार
होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली